प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 62/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Aditya Parasar Add.: VPO Bugala, Nawalgarh, Jhunjhunu-333305

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329607953590200 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5992315688 दिनांक 24.05.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/62/24/628–29 दिनांक 24.05.2024 से लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रा.प.स. 329053288633617/2024/487–88 दिनांक 05.06.2024 से प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

पत्रावली पर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई हो।

अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करे जिससे अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवायी जा सके।

निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर